न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 187/2019 (GCMS No. 2019/00195) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मेघसिंह पुत्र श्री रामसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुम्हेरपुर तहसील मांसलपुर जिला करौली राज.।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांसलपुर जिला करौली (राज.)।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायायल जिला कलक्टर करौली दिनांक 27.11.2019 मुकदमा नं. 59/2019 उनवानी मेघसिंह बनाम सरकार एवं निर्णय न्यायालय तहसीलदार मांसलपुर दिनांक 21.08.2019 प्रकरण संख्या 09/2019 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट की ओर से श्री उदयवीर कसाना, वकील
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान राजकीय पैरोकार।

नि र्ण य **दिनांक : 14.02.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 27.11.2019 एवं तहसीलदार मांसलपुर के आदेश दिनांक 21.08.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की है कि अपीलांट ने आराजी खसरा नम्बर 196/1 रकवा 5.07 हैक्टे. में से 0.02 हैक्टै. किस्म गैर मुमकिन सिवायचक वांके ग्राम कुम्हेरपुर तहसील मांसलपुर में कब्जा कर दोगुणा पक्का मकान बनाकर एवं पक्के मकान में शराब का ठेका खोल कर व बिजली कनैक्शन कराकर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को अवधि 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया, साथ ही 50 गुना पेनल्टी कायम की। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर करौली के यहॉ की, जिन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही मानने हुये अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्तनीय है।तहसीलदार मांसलपुर द्वारा पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का अवसर नही दिया। अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में धारा 91 एल. आर.एक्ट के नोटिस के पूर्व प्रकरण का मुकदमा नम्बर व निर्णय की तारीख एवं बेदखली रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं की गई और न ही धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस में दर्ज किया है। इस प्रकार अपीलांट के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण विधि अनुसार साबित नहीं है। अपीलांट गरीब अन्य पिछडा वर्ग का भूमिहीन व्यक्ति है। अपीलांट के पास उक्त रिहायशी आवास के अलावा अन्य को रिहायशी जगह नहीं है। अपीलांट एवं उसका परिवार उक्त आवास में रहता चला आ है, बिजली कनेक्शन लगा हुआ है। रिहायशी मकान में शराब का ठेका संचालित है। इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आबकारी विभाग या पुलिस थाना में संलग्न नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2019 व दिनांक 21.08.2019 निरस्त फरमाये जावें।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करते हैं। पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से होती है तथा पटवारी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि पूर्व अतिक्रमी है तथा पुख्ता मकान में शराब का ठेका खोल रखा है। दुकान पर ठेका का बोर्ड भी लगा रखा है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्व प्रकरण दर्ज किया गया था। पटवारी हल्का के बयान दिनांक 20.08.2019 में भी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

स्पष्ट किया है कि इसके द्वारा पूर्व में भी इसी भूमि पर कब्जा किये जाने पर 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर बेदखल किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा दिनांक 08.08.2019 को शपथ पत्र भी दिया गया है कि ग्राम कुम्हेरपुर के खसरा नम्बर 196/1 रकवा 0.02 विस्वा सरकारी भूमि पर मेरा कब्जा है तथा पक्का निर्माण कर रखा है। उक्त भूमि से मैं अपना कब्जा 7 दिन में हटा लूँगा अन्यथा मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा तथा तहसीलदार मेरे विरूद्व कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। इस प्रकार स्वयं अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्वीकार किया है कि विवादित राजकीय भूमि पर उसका कब्जा है। ऐसे में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलें कतई सारहीन व निराधार है जो स्वीकार्य नहीं हो सकती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2019 एवं 21.08.2019 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानुका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर